हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 22 अगस्त 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनियाभर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।

दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों रिसोर्सेस का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट्स स्पोट् के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।

प्रधानमंत्री ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के मंत्र “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त-धारा की सप्त-शक्तियों की बात की है। इसलिए भारत आज, पॉलिसी लेवल पर, नेक्स्ट जनरेशन रिफ़ार्म कर रहा है, ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म कर रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्मस कर रहा है।

****

सरकार ने आज चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।

इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी।

यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है।

****

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हरियाणा में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना और अपने वर्तमान स्टॉक की घोषणा करना तुरंत प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को हर शुक्रवार पोर्टल पर नियमित रूप से अपने स्टॉक का विवरण अपडेट करना होगा।

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार चीनी व्यापारियों के लिए नई स्टॉक सीमाएं तय की गई हैं। इस नए नियम के तहत अब कोई भी व्यापारी चीनी के स्टॉक को प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख पाएगा। इसके अलावा, किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4,000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में चीनी की कीमतों और आपूर्ति की निरंतर निगरानी का आश्वासन देते हुए आम जनता से घबराकर अनावश्यक खरीदारी या जमाखोरी न करने की अपील की है।

यह विशेष आदेश 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर पंजीकरण न कराने, विलंब करने या गलत और अधूरी जानकारी देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

****

किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का त्वरित व प्रभावी ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीस्टैक प्लेटफार्म बनाया गया है। हरियाणा में इस प्लेटफार्म पर किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य अगले तीन दिन में पूरा किया जाएगा।

****